फाइल नं0-71-1002(099)/19/2021

50/2023/I/293872/2023

प्रेषक,

एस0पी0 सिहं,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में एल0एम0ओ0 हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-131/2022/I/250400/2022-**71-1002(099)/19/2021**, दिनांक 20.12.2022 द्वारा विभिन्न राजकीय मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में लिक्विड आक्सीजन स्टोरेज टैंक (एल0एम0ओ0) की स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में लिक्विड आक्सीजन स्टोरेज टैंक (एल0एम0ओ) की स्थापना हेतु अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक 4210-03-105-8802 से अवमुक्त धनराशि रू0 9.62 लाख को लिपिकीय त्रुटि के दृष्टिगत एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

2- **इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि** राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में एल0एम0ओ0 की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक 4210-03-105-41-राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ 24 वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सोपक्ष रू0 9.62 लाख जी0एस0टी0 सहित) उक्त कार्य हेतु अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते है।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 20.12.2022 द्वारा अन्य मेडिकल कालेजों में एल0एम0ओ0 की स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि एंव शेष शर्ते एंव प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगी अर्थात् उक्त शासनादेश दिनांक 20.12.2022 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ को छोड़कर अन्य राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में एल0एम0ओ0 की स्थापना हेतु अवमुक्त वित्तीय स्वीकृति प्रभावी रहेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,62,000 (रुपये नौ लाख बासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयव्ययक मे-ं अनुदान संख्या 031 लेखा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शीर्षक 4210031054100 मेडिकल कालेज मेरठ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:-उपरोक्त तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख अभियन्ता (विकास एवं विभागाध्यक्ष), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारीगण।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज यथा-झांसी, प्रयागराज, कानपुर, बदायूँ, कन्नौज, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, मेरठ, सहारनपुर, बांदा एवं जालौन।
5. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहॉपुर, एटा, हरदोई, फतेहपुर, गाजीपुर, मीरजापुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, देवरिया, जौनपुर, कौशाम्बी, कानपुर देहात, बिजनौर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, औरैया, गोण्डा, बुलन्दशहर, चन्दौली, ललितपुर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, सम्बन्धित राजकीय मेडिकल कालेज एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
8. श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित राजकीय मेडिकल कालेज एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
10. आईनॉक्स लि0।
11. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in